न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 17/550

1. सूरज मल आत्मज गोमदा जाति माली निवासी ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी।
2. जगन्नाथ आत्मज गोमदा जाति माली निवासी चित्तोड रोड पॉवर हाउस के सामने बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. छोटू लाल आत्मज केसरा जाति माली निवासी ग्राम संवर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री संजय राजवंशी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2 श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.06.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी की कुल किता 06 की रकबा 59 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सूरजमल एवं जगन्नाथ का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर वादी को उक्त भूमि में से 29 बीघा साढे पन्द्रह बिस्वा भूमि वादी के खाते में पृथक से दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.05.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट

स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2017 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पक्षकारान के हक–हिस्से को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करने में त्रुटि की गई हो । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपने हिस्से की भूमि को विधिवत तरीके से विभाजन करवाकर अपने पृथक खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17 / 550

1. सूरज मल आत्मज गोमदा जाति माली निवासी ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी।
2. जगन्नाथ आत्मज गोमदा जाति माली निवासी चित्तोड रोड पॉवर हाउस के सामने बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. छोटू लाल आत्मज केसरा जाति माली निवासी ग्राम संवर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 63 / दावा / 2014

छोटू लाल आत्मज केसरा जाति माली निवासी ग्राम संवर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. सूरज मल आत्मज गोमदा जाति माली निवासी ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी।

नाथ आत्मज गोमदा जाति माली निवासी चित्तोड रोड पॉवर हाउस के सामने बून्दी
सील एवं जिला बून्दी ।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.06.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री संजय राजवंशी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 बहाल रखा जाता है

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 27.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा